न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –79 / 2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016 / 00244

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

रामी बाई पत्नि गोपाल जाति माली निवासी फतेहपुर तहसील रामगंजण्डी जिला कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत्

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 08 / 07 / 2024

1 प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थीया शान्ति बाई पत्नि गोपाल माली निवासी फतेहपुर को ग्राम फतेहपुर तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 62 की रकबा 0.12 हे0 भूमि दिनांक 26.05.1981 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया नोटिस । अप्रार्थीया को जारी नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुए, जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त की गई, पटवारी हल्का मोडक की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.6.2022 अनुसार आवंटी अप्रार्थीया लाओलाद फौत हो चुकी है तथा आवंटी का पति गोपाल भी फौत होने से अप्रार्थीया के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर गुणावगुण पर निर्णय हेतु पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थीया को ग्राम फतेहपुर तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 62 की रकबा 0.12 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । रिपोर्ट पटवारी दिनांक 13.6.2022 अनुसार आवंटिया का नाम शान्ति बाई पत्नि गोपाल को उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 15.4.2017 से दुरूस्त किया जाकर शान्ति बाई के स्थान पर रामी बाई किया जा चुका है, जिसका नामान्तकरण संख्या 459 दिनांक 21.5.2017 स्वीकृत होकर जमाबंदी मे अमल हो चुका है । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी अप्रार्थीया रामी बाई पत्नि गोपाल लाओलाद फौत हो चुकी है तथा पति गोपाल भी फोत हो चुका है । आवंटित भूमि

जिला कलक्टर
कोटा

पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम फतेहपुर तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 62 की रकबा 0.12 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तथा आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । रिपोर्ट पटवारी दिनांक 13.6.2022 अनुसार अप्रार्थीया लाओलाद फौत हो चुकी है तथा पति गोपाल भी फौत हो चुका है तथा आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा काश्त होने से प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम फतेहपुर तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर ख0नं0 62 की रकबा 0.12 हे0 भूमि पर आवंटी अप्रार्थी के कब्जे काश्त में नही होने तथा अप्रार्थीया एवं पति लाओलाद फौत होने से अप्रार्थीया के हक में दिनांक 26.05.1981 को किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।

6. निर्णय आज दिनांक 08.7.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. [illegible] गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा